संख्या-863/2017/1952/22-2-2017-17(145)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाशंकर पुत्र श्री सौनिया निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28861/प्रोबे-5-दया0/56, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाशंकर पुत्र श्री सौनिया जो गोदहा, थाना-चांदपुर, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की रंजिश को लेकर दिनाक 24/25-03-1979 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी एवं तमन्चा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.10.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील सं0-2668/1981 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2004 द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित अपील में मा0 उच्चतम उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2014 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2017 तक 02 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 01 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं, 01 अन्य सहअभियुक्त 01 वर्ष की सजा से दण्डित तथा 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी दयाशंकर (बन्दी संख्या-928/2014) पुत्र श्री सौनिया निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-863/2017/1952/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in